दिनांकः—29.07.2019

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया है कि पक्षकारों में आपस में राजीनामा हो चुका है। जरिये राजीनामा प्रार्थना पत्र खारिज करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र जरिये राजीनामा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामील मिसल यानि दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.12.20 12:02:26 IST
Reason: SelfAttested